



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

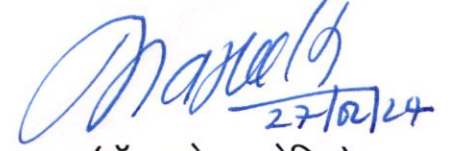
ई-मेल/Mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक: 006/स्था./रा.शि.नी./2024/12/360
दिनांक : 27.02.2024

कार्यालयादेश

कार्यालयादेश क्रमांक 003/2003/का.आ./02-240/2021 दिनांक 26.11.2021 विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य-समूह (Task force) का गठन किया गया है।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत उक्त कार्य-समूह में आंशिक संशोधनोपरांत प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ को 'नोडल अधिकारी' नियुक्त किया जाता है।


(डॉ. धरवेश कठेरिया)
कुलसचिव

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

- | | |
|---|--|
| 1. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
अधिष्ठाता
अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा | 2. प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
प्रोफेसर
अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा |
|---|--|

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
3. अकादमिक निदेशक : क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
4. प्रभारी : क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
5. प्रभारी: सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्त्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धिपुर (अमरावती)
6. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय
7. कार्य-समूह के अन्य संबंधित सदस्य
8. कुलसचिव कार्यालय
9. वित्ताधिकारी कार्यालय
10. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
11. लीला, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
12. रक्षित पत्रावली।